

फर्द अहकाम

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

उनवान

पीठासीन

बनाम

सुशान्ता

किरम धारा १५-ए वाद/प्रा.पत्र

मु०न० न० २८ / 2024

तारीख दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनीशिएल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30/07/24	<p>प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला शाहपुरा से संयुक्त शासन सचिव राजस्व(ग्रुप-1) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक/प.9(89) राज-1/2023/तहसील सवाईपुर दिनांक 03.08.2023 से जारी अधिसूचना अनुसार तहसील बनेडा का पुनर्गठन होने से ग्राम पंचायत बबराणा / खेडलिया / महुआखुर्द को उपखण्ड भीलवाडा सम्मिलित किये जाने से इस न्यायालय में स्थानान्तरित की है, प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी कर प्रकरण वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 21/11/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><b>Ahad</b> उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा</p>	
21/11/24	<p>पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साविक आदेश दिनांक 20/3/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><del>क.स.</del> आदेश से रीटर्न</p>	
29/2/25	<p>पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साविक आदेश दिनांक 12/5/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">3 आदेश से रीटर्न</p> <p>12.05.25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष को सम्मन जारी मती। सम्मन जारी दिने प्रत्येक सम्मन तामिल उन्तगार मे दिनांक 09/07/25 को पेश हो।</p>	

9/7/25

पत्रावली पेश हुयी समयपत्र  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त  
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश  
दिनांक...11/9/25...को पेश हो।

आदेश से रीखर

11-9-25 पत्रावली पेश हुई। प्राची व प्राची  
अधिकारता उपस्थित नहीं। पत्रावली  
का अवलोकन दिया गया। पत्रावली पर  
उपस्थित विज्ञापन अनुसार प्रकरण  
में दिनांक 03-01-2024 को ही निर्णय  
पाश्वर हो चुका है। निर्णय सैलजबर्हो  
अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष  
नहीं रहती। प्रकरण को आगे चलाने  
का औचित्य नहीं है अतः  
प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त  
दिया जाता है। पत्रावली फ़ैलत सुभार  
होबुर नम्बर से उभ हो।

*(Signature)*

11/9/25

उपखण्ड मंत्री कार्यालय एवं  
पठन सहयोगक कर्मकटार  
पीठासीन